

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2001
दिनांक 11 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

.....

भाखड़ा और पोंग बांधों का विनियमन

2001. श्री कुलदीप इंदौरा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार को जानकारी है कि भाखड़ा और पोंग बांधों को वर्तमान में उनके पूर्ण जलाशय स्तर (एफआरएल) से नीचे अर्थात् पोंग बांध लगभग 1290-1352 फीट और भाखड़ा बांध लगभग 1560-1633 फीट पर विनियमित किया जा रहा है, जिसमें राजस्थान के गंगानगर, बीकानेर जोधपुर और बाड़मेर जैसे जिलों में पानी की उपलब्धता प्रभावित हो रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) पोंग बांध का जल स्तर सुरक्षित पाए जाने और वर्षभर पर्याप्त वर्षा तथा जल भंडारण क्षमता होने के बावजूद भाखड़ा और पोंग बांधों को पूर्ण स्तर तक नहीं भरे जाने के क्या कारण हैं; और
- (ग) बीबीएमबी के हाइड्रोलॉजी परियोजना के तहत बनाया गया रियल-टाइम डिस्चार्ज सपोर्ट सिस्टम (आरटीडीएसएस) कब तक पूरी तरह काम करने लगेगा, जिससे इन बांधों का पानी सुरक्षित रूप में पूरे स्तर तक बढ़ जाएगा और राजस्थान में पानी और बिजली की उपलब्धता बढ़ जाएगी?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री

(श्री राज भूषण चौधरी)

(क) से (ग): भाखड़ा और पोंग बाँध का अभिकल्पित पूर्ण जलाशय स्तर क्रमशः 1685 फीट और 1400 फीट है। वर्ष 1988 में आई विनाशकारी बाढ़ के बाद, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बीबीएमबी) ने दिनांक 19.07.1990 और दिनांक 29.08.1990 को आयोजित अपनी क्रमशः 138वीं और 139वीं बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि भाखड़ा और पोंग जलाशय में पानी का अधिकतम स्तर क्रमशः 1680 फीट और 1390 फीट रखा जाना चाहिए, ताकि मॉनसून के आखिर के माह में बाढ़ आने की किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए भंडारण किया जा सके।

भाखड़ा बाँध के संबंध में, केंद्रीय जल आयोग की सिफारिशों के आधार पर, बीबीएमबी ने निर्णय लिया कि जलाशय का स्तर इएल. 1680 फीट पर बनाए रखने संबंधी मौजूदा संचालन मानदंड जारी रखे जाएं।

पोंग बाँध के संबंध में, केंद्रीय जल आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए, बीबीएमबी ने दिनांक 06.09.2024 को आयोजित अपनी 249वीं बैठक में यह निर्णय लिया कि पोंग बाँध के डाउनस्ट्रीम में हिमाचल प्रदेश और पंजाब में ब्यास नदी की धारण क्षमता में आने वाली बाधाओं को देखते हुए, बाँध के पूर्ण जलाशय स्तर को इएल -1390 फीट पर रखा जाए ताकि हिमाचल प्रदेश और पंजाब में जान-माल बचाया जा सके।

बीबीएमबी ने अपने बांधों (भाखड़ा, पोंग और पंडोह) के जलग्रहण क्षेत्र में रियल टाइम डेटा एक्विजिशन सिस्टम उपकरणों का नेटवर्क विकसित और स्थापित किया है। ये उपकरण/सेंसर जैसे ऑटोमैटिक वॉटर लेवल रिकॉर्डर, ऑटोमैटिक वेदर स्टेशन, ऑटोमैटिक रेन गेज और फ्लोमीटर आदि, नदी के जल स्तर, वर्षा, तापमान/आद्रता की स्थिति के बारे में बेसिन की रियल टाइम जानकारी और स्थिति प्रदान करते हैं।

बीबीएमबी रावी, ब्यास और सतलुज नदियों के जल को विनियमित कर रहा है और भागीदार राज्यों द्वारा किए गए अंतर-राज्यीय समझौतों के अनुसार भागीदार राज्यों के बीच इन नदियों के पानी का वितरण कर रहा है। भागीदार राज्य बीबीएमबी की तकनीकी समिति की मासिक बैठक में अपने-अपने राज्यों की सिंचाई और आंतरिक जल आवश्यकताओं के संबंध में जानकारी देते हैं, जिसके बाद भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड उस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार जलाशयों से पानी छोड़ता है।
